भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम – ढाका

विकासखंड – चोलापुर

जनपद – वाराणसी

राज्य – उत्तर प्रदेश

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	ढाका
विकासखंड	चोलापुर
जनपद	वाराणसी
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	26,83,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष (2020–2024)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु

परिचय	1
सहमति पत्र	3
भाग – 1 प्रस्तावना	5
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	7
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	7
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	7
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	8
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	8
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	8
2.6 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	9
2.7 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	9
2.8 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	9
2.9 कृषि एवं पशुपालन	10
2.10 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	11
2.11 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	11
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	11
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	12
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	13
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	15
भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य	17
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियां तथा रणनीति	19
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	19

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	20
6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियां	21
6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	22
6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	23
6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां	23
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	24
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	24
6.1.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां	25
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	25
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	27
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	27
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	33
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	35
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	35
7.5 विवाद का निपटारा	36
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	36
7.7 सफलता के सूचक	37
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	38
2 सामाजिक मानचित्र	39
3 सामुदायिक बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची	40
4 फोटो गैलरी	42

मानचित्र

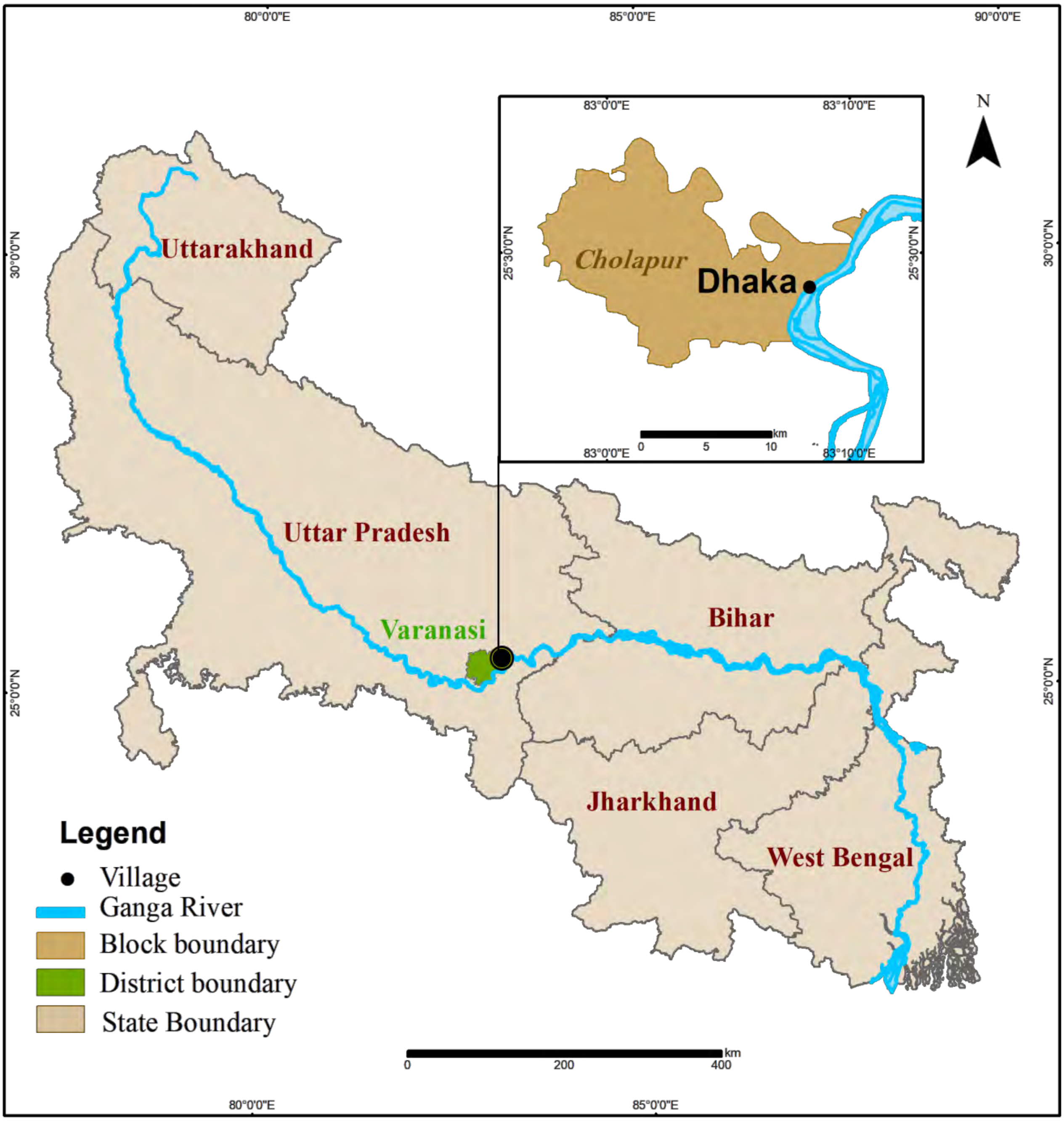
80°0'0"E
85°0'0"E
90°0'0"E
83°0'0"E
83°10'0"E
25°30'0"N
Cholapur
Dhaka
km
0
5
10
N
30°0'0"N
25°0'0"N
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Varanasi
Bihar
Jharkhand
West Bengal
Legend
Village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State Boundary
km
0
200
400

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

स्वच्छ ग्राम

सत्यमेव जयते

स्वस्थ भारत

ग्राम प्रधान / अध्यक्ष
सत्यनारायण प्रसाद

Email Id :- dhakakaithi@gmail.com
Mob. No. :- 9670468129
8601787908 (H)

पत्रांक–

दिनांक– 13/5/19

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढाका (ढकवाँ) विकास खण्ड–चोलापुर जीला – वाराणसी मे विभिन्न बैठको, कार्यशालाओ एवं प्रशिक्षणो के साथ-साथ मान्य गति विधिया आयोजित कि गई है। समुदाय के साथ-साथ अन्य लगातार चार्चा के बाद गंगा कि जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सुक्ष्म योजना तैयार कि गई है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत में इस योजना क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं, ग्राम समुदाय, भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

(हस्ताक्षर)
प्रधान / अध्यक्ष
ग्रा०पं०–ढाका वि०ख० चोलापुर
जिला–वाराणसी

निवास :– ग्राम–ढ़ाका, पोस्ट–कैथी, जनपद–वाराणसी, (उ० प्र०)

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	ढाका
अवस्थिति	28.451411 अक्षांश एवं 80.506446 देशान्तर
विकासखंड	चोलापुर
जिला	वाराणसी
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय वाराणसी से दूरी	27 कि0मी0
तहसील मुख्यालय चोलापुर से दूरी	21 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	0.5 कि0मी0
कुल जनसंख्या	2123
कुल परिवार	345
मुख्य जातियां	हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्रहमण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर
मुख्य समस्याएं	• जागरूकता की कमी • जैवविविधता संरक्षण संबंधी • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना

प्रस्तावित गतिविधियां	- सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां - समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण - आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां - स्वच्छता संबंधी गतिविधियां - वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत - जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां - कृषि विकास संबंधी गतिविधियां - पशुपालन संबंधी गतिविधियां - मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां

गणेश चौधरी (गंगा प्रहरी)

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत ढाका उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जनपद के विकासखंड चोलापुर में स्थित है। ढाका को ढकवां भी कहा जाता है। यह राज्य राजधानी लखनऊ से 299 कि0मी0 तथा जिला मुख्यालय वाराणसी से 27 कि0मी0 दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यहां की मुख्य भाषा हिन्दी है, तथा यहां पर भोजपुरी बोली जाती है। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्राम पंचायत में नदी से 0.5 कि0मी0 की दूरी पर गौरी शंकर महादेव का मन्दिर स्थित है जहां आसपास के 60 से 65 ग्राम पंचायत के लोग दर्शन करने आते है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ढाका ग्राम पंचायत का अवस्थिति कोड 208919 की गयी है। यह ग्राम पंचायत वाराणसी तहसील में आता है। गंगा नदी से ग्राम पंचायत की दूरी 0.5 कि0मी0 है। यहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 122.71 हेक्टेयर है। ढाका ग्राम पंचायत के नजदीक के सारिया, भागवानपुर खुर्द, कुरशियान, पाण्डेपुर, बंधरपुर खुर्द, पौहा, धौहरा, भगुतीपुर, गरथौली, पल्कहां, अर्जी चन्द्रावती आदि गांव स्थित हैं ।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

गंगा नदी अपने 2525 किलोमीटर के सफर में विभिन्न परिदृश्यों, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों से गुजरती है। जैसे जैसे गंगा के भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन होते है, वैसे–वैसे गंगा की जैवविविधता एवं उस पर निर्भरता में परिवर्तन आता जाता है।

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों का चयन गंगा की जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के आधार पर किया गया। जिन स्थानों पर गंगा की जलीय जैवविविधता अधिक पाई गई उन stretches को चिन्हित कर उसके आसपास के गंगा किनारे के ग्राम पंचायतों का चयन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। लोगों की आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता है। गंगा मे जैव विवधिता भी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। ग्राम पंचायत के आसपास गंगा नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डाल्फिन, कछुए, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की मछलियां, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। लोगों की गंगा पर निर्भरता होने व जागरूकता की कमी का सीधा प्रभाव गंगा की जैवविविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण व उस स्थान पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम चयन के निम्न मानक रखे गये –

1. गंगा नदी से समीपता
2. जैवविविधता संसाधनों की उपलब्धता
3. गंगा नदी एवं उसकी जैवविविधता संसाधनों पर निर्भरता
4. जैवविविधता संसाधनों पर निर्भरता के प्रभाव
5. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समुदाय की तत्परता/इच्छा
6. ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति
7. मल्लाह समुदाय की बहुलता
8. गंगा की जैवविविधता के अन्तर्गत डॉल्फिन साइट तथा कछुओं का प्रजनन स्थल

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गावों के संबंध में जानकारी लेने के लिये जिला प्रशासन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से बैठक करने के उपरान्त जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची ली गयी। उपरोक्त गांव में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं समुदाय के साथ बैठकें कर गांव की स्थिति को जाना गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उददेश्यों को बताया गया। ग्राम पंचायत की सहमति के बाद गांव को परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत ढाका में कुल 345 परिवार निवास करते हैं। यहां की कुल जनसंख्या 2123 है। कुल पुरुष सदस्य 1110 और महिलायें 1013 हैं। ढाका गाँव में हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्राह्मण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर आदि जातियों के लोग रहते हैं। गाँव में महिलाओं का साक्षरता दर 25 प्रतिशत है। यहाँ पर गौरी शंकर महादेव मन्दिर घाट एक लोकप्रिय घाट है। जिसमें मेले, पर्व व स्नान के लिये हजारों लोग आते हैं।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

ग्राम पंचायत ढाका में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। ग्राम पंचायत में 345 परिवार में से कुल 110 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। यहां पर अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन एवं प्राइवेट नौकरी पर आश्रित हैं। कुल परिवारों में से

80 परिवार कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में प्राइवेट नौकरीपेशा परिवारों की संख्या 100 है तथा 15 परिवार सरकारी नौकरी पर आजीविका हेतु निर्भर हैं। 80 परिवार नाविक, मछुआरे आदि हैं जो कि गंगा नदी में नाव चलाने व मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, उनकी आजीविका सीधे तौर पर गंगा पर आश्रित है। 80 मछुआरा परिवारों के द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 कुन्तल मछली पकड़ी जाती है। कार्प (*Cyprinus carpio*), चनना (*Channa* sp.), टेगरा (*Mystus tengaara*), कतला (*Gibelion catla*) आदि प्रजाति की मछलियों का शिकार किया जाता है। अन्य परिवार कृषि, पशुपालन, नौकायन व मजदूरी करके आजीविका चलाते हैं। लगभग सभी परिवार आजीविका हेतु किसी न किसी रूप से गंगा पर आश्रित हैं।

2.6 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल का मुख्य स्रोत गंगा नदी है। गांव में पेयजल एवं सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप, हैंडपम्प एवं गौरी शंकर महादेव मन्दिर के पास कुंआ तथा ओवरहैड टैंक हैं। सिंचाई हेतु नजदीक के ग्राम पंचायत मौलनापुर से पम्प कैनाल बनाई गई है जिससे कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। गांव में पंचायत का बरसाती तालाब है परन्तु उससे सिंचाई नहीं की जाती है। वर्षा का जल तथा ग्राम पंचायत का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता

2.7 ग्राम पंचायत तक पहुंच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

ढाका ग्राम पंचायत में वर्तमान में सड़क मार्ग से ही आवागमन किया जाता है। गोरखपुर हाइवे से ग्राम पंचायत की दूरी 0.5 कि0मी0 है। रेल मार्ग ग्राम पंचायत से 22 कि0मी0 दूर सारनाथ में तथा वाराणसी जंक्शन 27 कि0मी0 की दूरी पर है। यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राम में टेलिफोन सुविधा के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आदि सुविधाओं की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत में कच्चे तथा पक्के दोनों तरह के सम्पर्क मार्ग है। डाकघर निकट की ग्राम पंचायत कैथी में है।

2.8 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ढाका ग्राम पंचायत में स्वच्छ पेयजल हेतु हैंडपम्प, टयूबवैल आदि का प्रयोग किया जाता है। पेयजल हेतु यहां पर कुल 79 हैंडपंप व 5 कुयें हैं। गांव में कुल 345 परिवारों में से केवल 294 के पास शौचालय है जिसमें से कुल 215 परिवार ही शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में जमीन न होने के कारण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया है। शौचालय निर्माण एवं शौचालयों का प्रयोग करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेकों जागरुकता कार्यक्रम चलाये गये। शौचालय का प्रयोग न करने वाले

परिवार नदी के किनारे एवं खेतों में शौच हेतु जाते हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा (Solid and liquid waste) निस्तारण के लिए सरकार द्वारा एस.एल.आर.एम. के तहत पंचायत स्तर पर ढांचा तैयार किया गया है जो कि अभी कार्य नहीं कर रहा है। गांव में गौरी शंकर महादेव मंदिर प्रांगण तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंचायत के द्वारा कूड़ेदान रखे गये हैं, लेकिन कूड़ा निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। समुदाय द्वारा अपने खेतों में जलाकर या इधर उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

2.9 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। कुल 20 हैक्टेयर कृषि भूमि पर खेती करने के साथ ही गंगा किनारे 20 बीघा कछार भूमि पर पालिज खेती की जाती है। कुल 6 परिवार पालिज की खेती पर निर्भर हैं। जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ढाका ग्राम पंचायत में 40 परिवारों के पास कुल 260 पशु हैं, जिनमें से 47 गाय, 75 भैंस तथा 138 बकरियां हैं। 25 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे दूब, कुश, कांस आदि घासें पाई जाती हैं।

2.10 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय धार्मिक क्रियाकलापों, गतिविधियों, नौकायन, कृषि, पालीज खेती आदि के लिये गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में 80 मल्लाह परिवारों के द्वारा मछली पकड़ने व नाविक के रूप में कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा व उसके आसपास की वनस्पति पर निर्भरता है। ढाका ग्राम पंचायत में कुल 20 हैक्टेयर भूमि पर 80 परिवार कृषि करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित 5 परिवारों के द्वारा कछार भूमि पर पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, तोरी, लौकी, करेला तरबूज, खरबूज, कद्दू, आदि की खेती की जाती है।

2.11 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गांव के आस पास नीम, पीपल, गूलर, शीशम, आम, अमरूद, जामुन, बबूल, बांस, हल, बरगद, नीम, अशोक, महुआ, पापुलर, यूकेलिपटिस आदि वन सम्पदा पायी जाती है। गंगा नदी के किनारे दूब, कुश, कांस आदि घास पाई जाती है। यहां पर गंगा नदी की जैव विविधिता भी प्रचुर मात्रा में है, जिसमें डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। यहां पर डॉल्फिन बहुतायत में पाई जाती है। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा बना हुआ है। मछली पकड़ने, गंगा नदी के तटों पर कृषि होने व चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

ढाका ग्राम पंचायत में अभी जैवविविधता संरक्षण हेतु कोई भी योजना संचालित नहीं है। इस क्षेत्र में जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में डॉल्फिन काफी संख्या में हैं।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/ कार्यक्रमों का विवरण

ढाका ग्राम पंचायत के समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थिया` की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह (6)	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	78	सभी समूह सदस्य बेकिंग प्रक्रिया से जुड़े है।
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	1 कार्यकर्ता	
3	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	आंगनबाड़ी	2 आंगनबाड़ी केन्द्र	76	
4	ग्राम स्तरीय समिति	गंगा समिति	गंगा सफाई	80	
5.	नेहरु युवा केन्द्र संगठन	नेहरु युवा केन्द्र	युवा कल्याण	15	
6.	पुरुष मंगल दल	खेल एवं युवा मंत्रालय	स्वच्छता एवं जागरूकता	12	
7.	महिला मंगल दल	खेल एवं युवा मंत्रालय	स्वच्छता एवं जागरूकता	15	
8.	उज्जवला योजना		एल0पी0जी0 गैस वितरण	336	
9.	पेयजल व्यवस्था	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति	पेयजल योजना निर्माण	12	समिति में पंचायत सदस्य शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

भाग– 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) –

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

- स्थानीय समुदाय
- धार्मिक समूह
- पालिज की खेती करने वाले किसान
- विद्यालय के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- युवक मंगलदल/महिला मंगल दल/ नेहरु युवा केन्द्र के सदस्य
- महिलायें एवं किशोरियां
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण– स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग,खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, उद्यान विभाग, गैर सरकारी संस्थायें (प्रगति संस्था)।
- केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (समितियों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्संबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंर्तनिर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

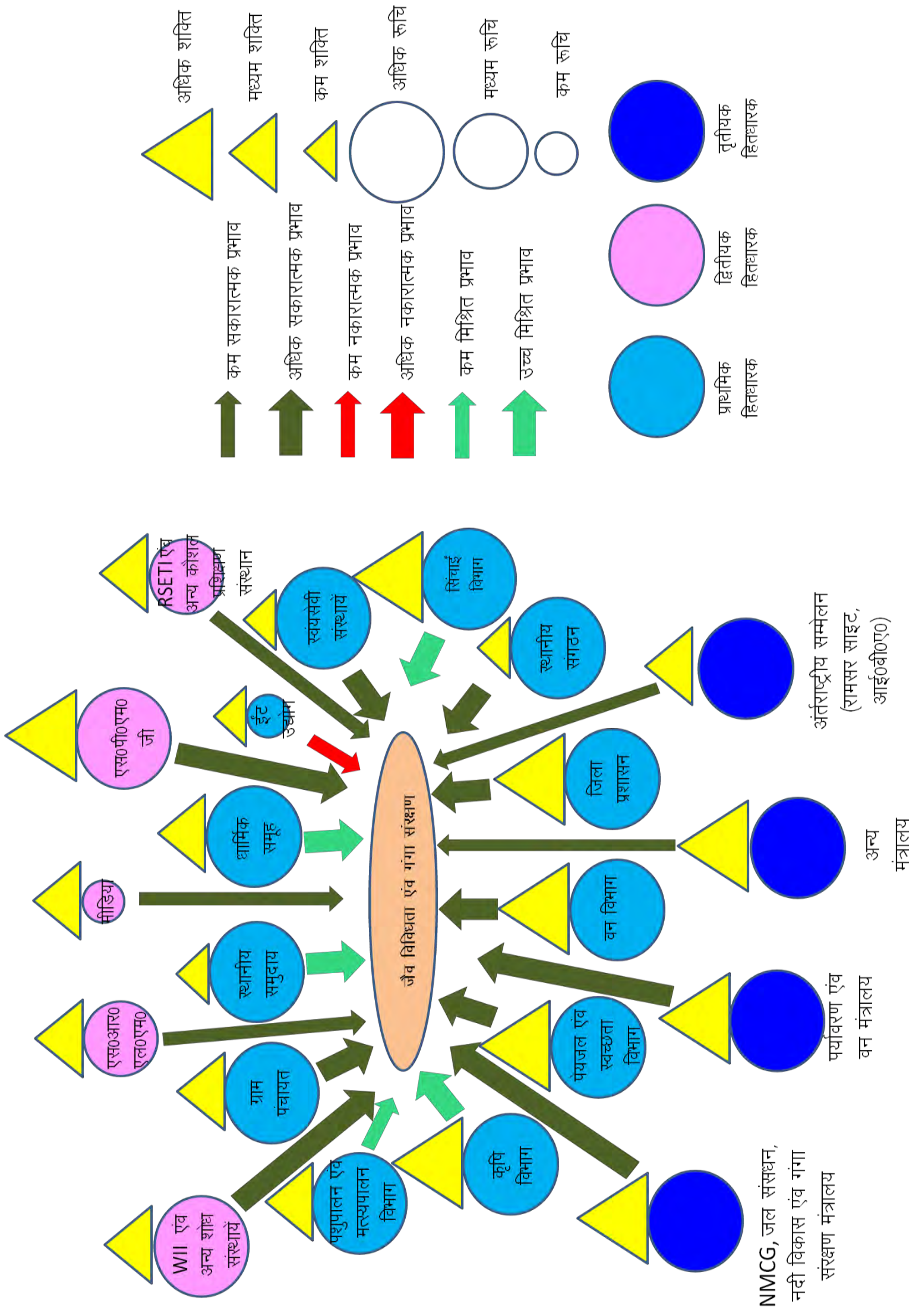

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत ढाका के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यों पर है ग्राम पंचायत में 20 हैक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। गंगा के द्वारा छोड़ी गयी कछार भूमि पर भी कृषि की जाती है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुंचाते हैं।

धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल होने एवं गौरी शंकर महादेव मन्दिर प्रांगण में माघ मेला, देव दीपावली, दीपावली, छठ पूजा व स्थानीय मेले तथा त्यौहारों के समय आसपास की 80 से 90 ग्राम पंचायतों के अलावा दूर–दूर से तीर्थ यात्रियों का भारी संख्या में आगमन होता है। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण ये तीर्थयात्री यहां पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें ,कैलेण्डर, मूर्तियां, धूपबत्ती, कपड़े, पॉलिथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों विशेषकर नदी तट पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े, पॉलिथीन व अन्य सामग्री गंगा के किनारे छोड़ दिये जाते हैं जो गंगा के प्रदूषण का कारण है।

ढाका ग्राम पंचायत में कुल 40 परिवार पशुपालन करते हैं। गंगा के किनारे पर 5 परिवारों के द्वारा खेती करने के साथ ही गंगा के किनारे की वनस्पति पर पशुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहां पर गंगा के जलीय जीवों के प्रजनन स्थल एवं आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

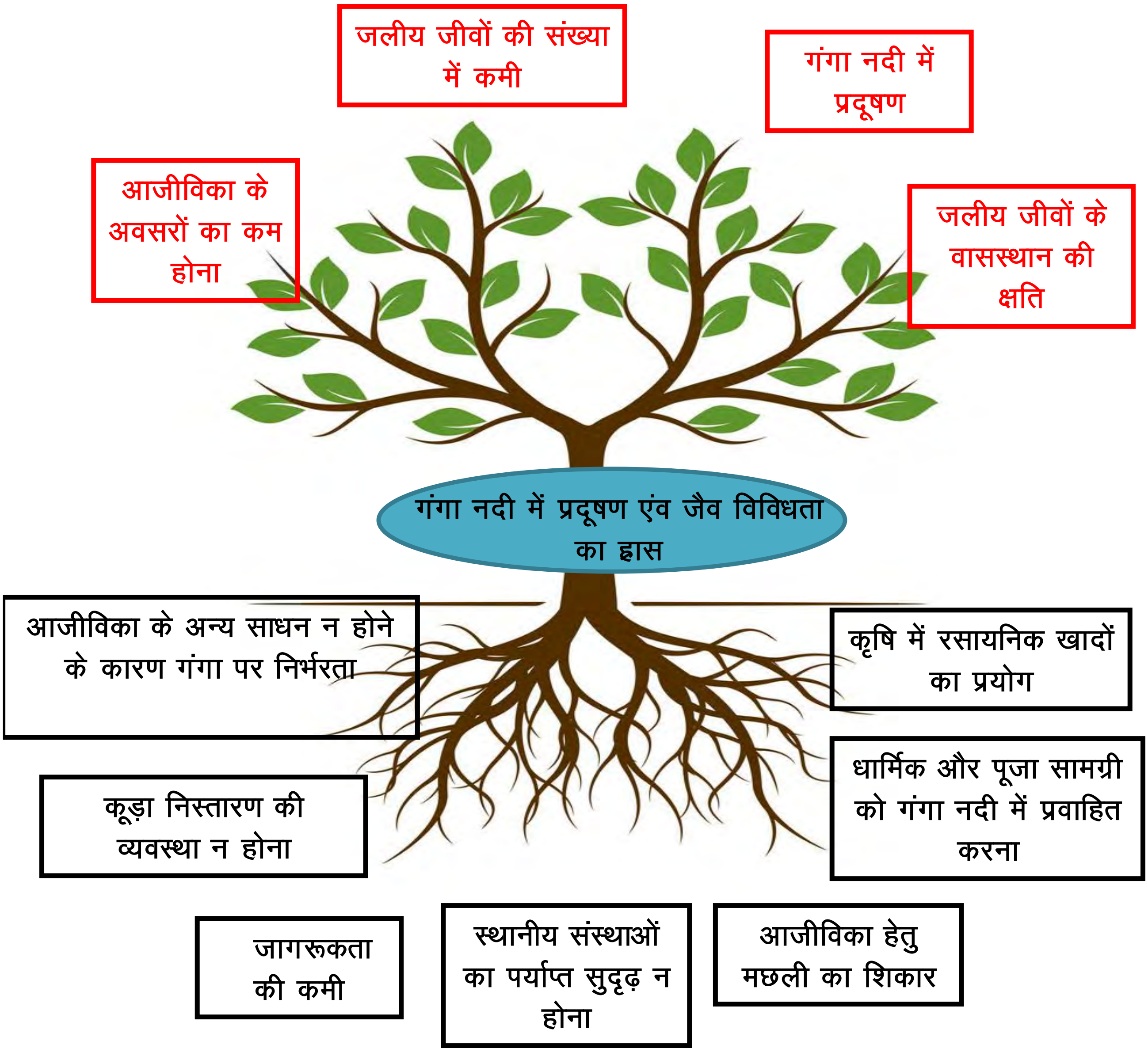

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उददेश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे ।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

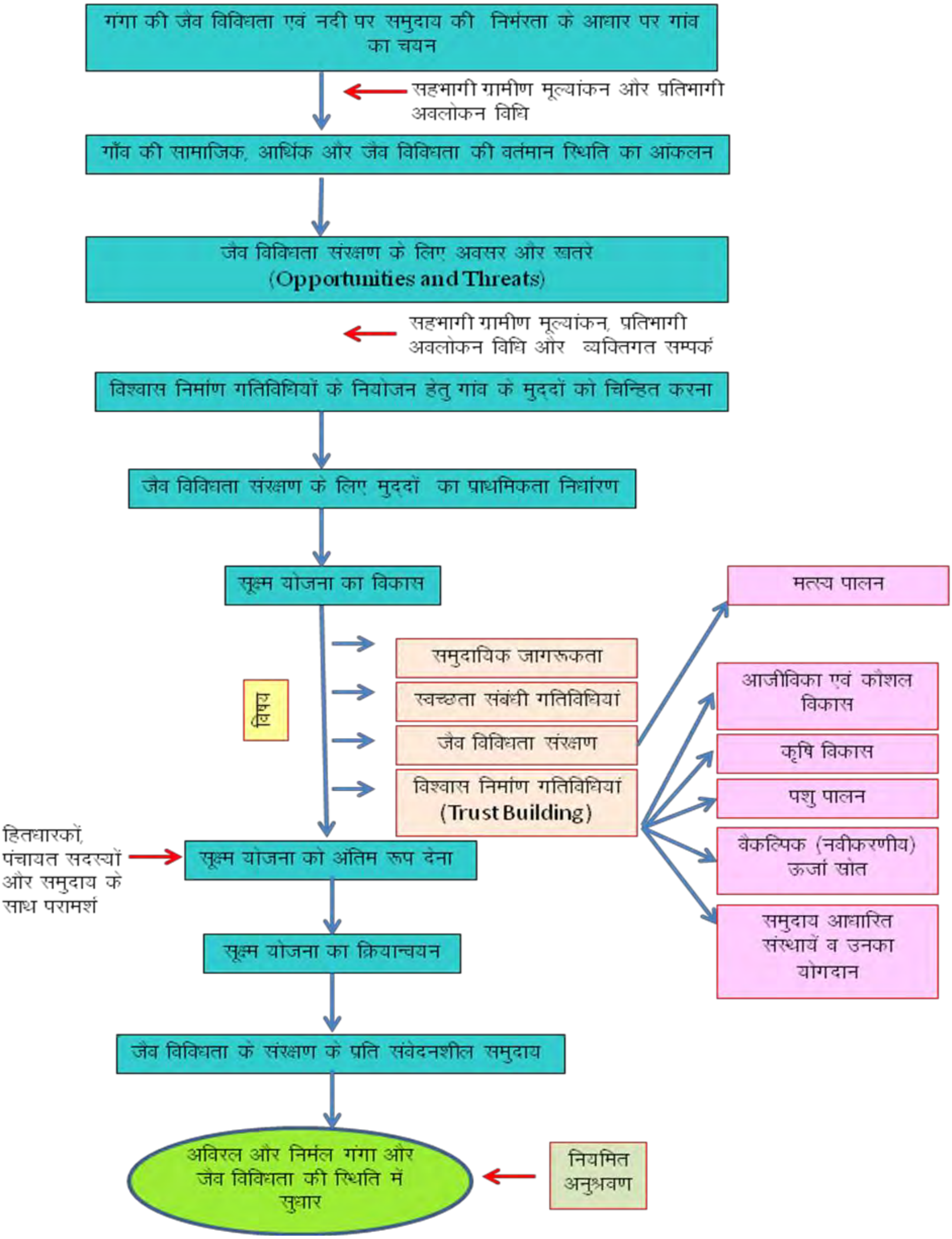

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता के साथ योजना का क्रियान्वयन करने एवं किये गये कार्यों की सतत्ता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो।

समुदाय की गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वयं उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों, चर्चा तथा कार्यशालाओं के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन संबंधी जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर सहमति बनी। जिसके लिये ग्राम पंचायत में निम्न गतिविधियां की जायेंगी।

1. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
2. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
3. समुदाय, विद्यार्थियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
4. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।
6. ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सुदृढ़ एवं सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। ढाका ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 6 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें 78 महिलाएं शामिल हैं। समूह की महिलायें बैंक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इन समूहों को 15000/– प्रति समूह रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया है जिससे समूह के सदस्य आपस में लेन देन करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें, आजीविका सम्बन्धित गतिविधियां कर समूह के सदस्यों को सक्रिय करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही इन समूहों को जैवविविधता संरक्षण संबंधी जानकारी देकर इन्हें कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है, कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किये जाने के साथ ही जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगे। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियां की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के (विशेषकर गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण संबंधी) गठन हेतु कार्य करना।
3. पंचायत स्तर पर समितियों के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
5. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
6. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियां

ढाका ग्राम पंचायत में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, मछली पकडने, धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे हेतु गंगा पर निर्भर हैं। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पर पड़ने वाले खतरों को बताकर उन्हें जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रह सके। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सतत् आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग के सहयोग से जैविक खेती के विषय में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है। बैठकों में चर्चा के बाद गांव के युवकों एवं युवतियों द्वारा निम्न प्रशिक्षणों की मांग की गई है –

- युवतियों हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई व ब्यूटी पार्लर आदि प्रशिक्षण।
- युवकों के लिए मोबाईल रिपेयरिंग, प्लमबिंग, कम्पूटर कोर्स, C.C.T.V कैमरा रिपेयरिंग, आदि।
- खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण।
- स्थानीय फसलों से विभिन्न सामग्री जैसे लड्डू, बिस्कुट निर्माण, बेकिंग आदि प्रशिक्षण

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियां की जायेंगी –

1. स्थानीय समुदाय के लिए प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
2. बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न समूहों के लिए में चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
4. अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

5. महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें वो स्थानीय फलों अनाजों से अचार, मुरब्बा, पापड़, लड्डू प्रसाद, अगरबत्ती आदि बनाना सीखेंगी।

6. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी / लोन) से जोड़ना।

7. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

ढाका ग्राम पंचायत में गौरी शंकर महादेव मन्दिर घाट होने एवं निरन्तर लगने वाले धार्मिक मेलों आदि के कारण यात्रियों व श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में है, जिससे ग्राम पंचायत व घाट की स्वच्छता को बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। घाट तथा मन्दिर प्रांगण नियमित स्वच्छ किया जाता है, हालांकि कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा जला दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु घाट पर शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित समिति व गंगा प्रहरी के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। स्वच्छता संबंधी निम्न गतिविधियों का संचालन गांव में किया जाना है –

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता रखने, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े तथा उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. कूड़ेदान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।
5. ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने के लिए तैयार करना।
6. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गांव वासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

ढाका ग्राम में 336 परिवारों को उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस कनैक्शन दिये गये हैं। परन्तु सभी के द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। 20 परिवारों के द्वारा पारम्परिक ईधन का प्रयोग पूर्ण रुप से किया जाता है व अन्य परिवारों के द्वारा भी पारम्परिक ईधन का प्रयोग किया जाता है। जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन के लिए निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी0 के उपयोग एवं सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां

जैव विविधिता संरक्षण के प्रति जनसमुदाय को जागरुक करने हेतु ग्राम स्तर पर गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी, गांव तथा आसपास की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। ये गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय घाटों में अनावश्यक गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने एवं स्वच्छता के प्रति समुदाय की जिम्मेदारी तय करने हेतु जागरुक करने का कार्य करते हैं। ये गंगा प्रहरी ढाका ग्राम एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने के साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियां की जानी हैं–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ढाका ग्राम में लगभग 23 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है। कृषि विकास संबंधी निम्न कार्य गांव में किये जाने हैं –

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से जलीय जीवों के स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा जैविक खाद बनाने के लिए कृषकों को तैयार किया जायेगा।
6. नर्सरी या पौधशाला निर्माण की जानकारी देना। रेखीय विभागों के साथ समन्वय कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. कृषि विभाग के सहयोग से मिट्टी का परीक्षण कर उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां

ढाका ग्राम में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 40 परिवारों के पास पशु हैं, जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। पशुपालन संबंधी निम्न कार्य किये जाने हैं –

1. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

2. ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमें पशुओं के टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा, जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के प्रति जागरुक किया जायेगा।

3. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।

4. बंजर खेतों एवं मेढ़ों पर चारा पत्ती वाले वृक्षों व घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से इस के लिए कार्य करना।

6.1.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां

नदी की जैवविविधता को बचाये रखने के लिये आवश्यक है कि इसके संसाधनों का उपयोग सही (sustainable manner) तरीके से किया जाये। इसके लिये मछली पकड़ने के सही तरीके की जानकारी दी जायेगी। ग्राम पंचायत व मत्स्य विभाग के सहयोग से एक प्रदर्शन (Demonstration) तालाब का निर्माण किया जायेगा।

1. सतत आजीविका के लिए उपयुक्त जाल के प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठक, कार्यशाला आदि का आयोजन।

2. मत्स्य पालन विभाग के साथ समन्वय कर मछली पालन की जानकारी प्रदान करना एवं गाँव के प्राकृतिक तालाब, पोखर में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन (Demonstration) तालाब का निर्माण।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग, उद्यान विभाग

3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE, HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, डी0एस0टी0 तथा उज्जवला योजना का उपयोग हेतु जागरुक करना।

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य, परन्तु निरन्तरता बनाये रखने में समुदाय का सहयोग की आवश्यकता होगी।
2	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
4	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	पंचायत स्तर पर समितियों के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

	करना।	
9	समूह के सदस्यों तथा समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करने हेतु, प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के गठन हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
12	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना तथा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	विभिन्न समूहों के लिए में चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
18	अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

	किया जायेगा।	
19	महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें वो स्थानीय फलों, अनाजों से अचार, मुरब्बा, पापड़, लड्डू प्रसाद, अगरबत्ती आदि बनाना सीखेंगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
22	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
23	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
24	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
25	कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
26	ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य परंतु तकनीकी व बजट हेतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
27	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गाँव वासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

	व घाटों की सफाई की जायेगी।	
28	गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
29	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
30	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
31	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
32	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
33	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
34	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
35	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
36	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
37	कृषि विभाग के सहयोग से मिट्टी का परीक्षण कर उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

38	रेखीय विभागों के साथ समन्वय बना कर ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
39	गांव के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
40	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें , जिसमे पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
41	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
42	बंजर खेतों एवं मेढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
43	स्तत् आजीविका के लिए उपयुक्त जाल के प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठक, कार्यशाला आदि का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
44	मत्स्य पालन विभाग के साथ समन्वय कर मछली पालन की जानकारी प्रदान करना एवं गाँव के प्राकृतिक तालाब, पोखर में मछली पालन को बढावा देने हेतु प्रदर्शन (Demonstration) तालाब का निर्माण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवयश्यकता एवं बजट

ग्राम पंचायत ढाका में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट ढाका

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	10	30000	300000
ii	रैली	10	20000	200000
iii	नुक्कड़ नाटक	5	10000	50000
iv	दीवार लेखन	50	500	25000
v	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
vi	जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा।	6	5000	30000
vii	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	10	5000	50000
viii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	5	5000	25000
ix	मछली के शिकार (sustainable fishing) एवं उचित जाल पर जागरूकता।	5	5000	25000
				725000

2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	समूह के गठन, उद्देश्य, कार्यों एवं रिकार्ड रखरखाव पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	10	10000	100000
ii	शैक्षिक भ्रमण	1	50000	50000
iii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने के लिए प्रशिक्षित करना।	5	20000	100000
iv	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
v	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
vi	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
vii	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
viii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, तथा खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
ix	गाय, बकरी तथा कुक्कुट पालन प्रशिक्षण	1	100000	100000
				1040000
3	**प्रदर्शन (Demonstration) एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन	1	50000	50000
iiii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	24	2000	48000
vi	गांव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ेदान	10	8000	80000

	लगाना)			
v	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
vi	प्रदर्शन (Demonstration) मत्स्य तालाब का निर्माण	1		250000
				578000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**	1	10000	240000
i	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु)			100000
ii	यात्रा व्यय			**340000**
			कुल (1+2+3+4)	**2683000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित गंगा समिति व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन – भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा

गांव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव –

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक

1- गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2- कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।

3- ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।

4- गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।

5- समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने के लिए पहल कर रहा है।

6- ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।

7- समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियो के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।

8- आजीविका अवसरों में वृद्वि।

9- गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्वार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैव विविधता संरक्षण और गंगा जीर्णोद्वार" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से,गंगा नदी की जलीय प्रजातियो के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन ढाका (कला) ग्राम — पंचायत (जिला–वाराणसी) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 02/08/2017 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्वता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1. स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।
2. घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सकिय भागीदारी, विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।
3. नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का दीर्घकालिक उपयोग।
4. सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान –विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर: [illegible]
2. नाम: डा.रुचि बड़ोला
3. शीर्षक: परियोजना समन्वयक एवं वैज्ञानिक जी
4. दिनांक:

पंचायत की ओर से हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर: [illegible]
2. नाम: [illegible] प्रसाद
3. शीर्षक: ग्राम प्रधान- ढाका
4. दिनांक: 02-08-2017

[illegible]
प्रधान / अध्यक्ष
ग्रा०पं०–ढाका वि०ख० चोलापुर
जिला–वाराणसी

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत रामपुर

सामुदायिक बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

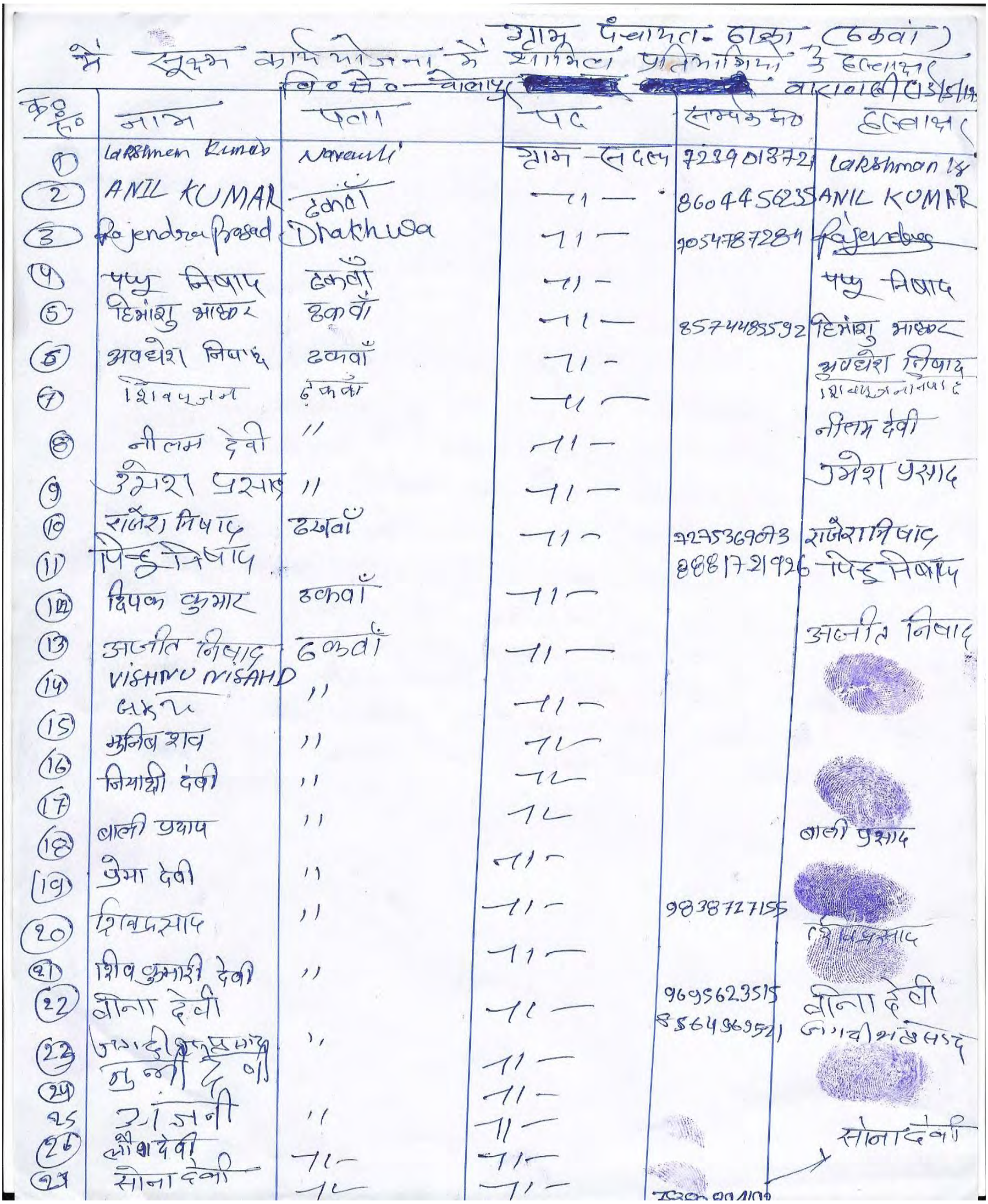

ग्राम पंचायत ढाका (ढकवां) में सूक्ष्म कार्य योजना में शामिल प्रतिभागियों के हस्ताक्षर
वि० ख० – चोलापुर [redacted] वाराणसी

क्र० सं०	नाम	पता	पद	सम्पर्क नं०	हस्ताक्षर
1	Lakshmen Kumar	Naravuli	ग्राम – सदस्य	7239018721	Lakshman K
2	ANIL KUMAR	ढकवाँ	–//–	8604456235	ANIL KUMAR
3	Rajendra Prasad	Dhakhwa	–//–	9054787284	Rajendra
4	पप्पू निषाद	ढकवाँ	–//–		पप्पू निषाद
5	हिमांशु भास्कर	ढकवाँ	–//–	8574485592	हिमांशु भास्कर
6	अवधेश निषाद	ढकवाँ	–//–		अवधेश निषाद
7	शिवपूजन	ढकवाँ	–//–		शिवपूजन निषाद
8	नीलम देवी	//	–//–		नीलम देवी
9	उमेश प्रसाद	//	–//–		उमेश प्रसाद
10	राजेश निषाद	ढकवाँ	–//–	9275369073	राजेश निषाद
11	पिन्टू निषाद			8881721926	पिन्टू निषाद
12	दिपक कुमार	ढकवाँ	–//–		
13	अजीत निषाद	ढकवाँ	–//–		अजीत निषाद
14	VISHNU NISAHD	//	–//–		
15	मुनिब शाव	//	–//–		
16	जियाद्दी देवी	//	–//–		
17		//	–//–		
18	बाली प्रसाद	//	–//–		बाली प्रसाद
19	प्रेमा देवी	//	–//–		
20	शिवप्रसाद	//	–//–	9838727155	शिवप्रसाद
21	शिवकुमारी देवी	//	–//–		
22	बीना देवी		–//–	9695623515	बीना देवी
23	जगदीश प्रसाद	//		8564969521	जगदीश प्रसाद
24	मुन्नी देवी		–//–		
25	रजनी	//	–//–		
26	शीला देवी	–//–	–//–		सोना देवी
27	सोना देवी	–//–	–//–	7380991091	

ग्राम पंचायत - ढाका (ढकवां)
चौलापुर - वाराणसी Date. 13/5/19

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	सम्पर्क नं0	हस्ताक्षर
21	जगरा देवी	ढकवाँ	ग्राम सदस्य	—	
23	उषा देवी	ढकवाँ	-॥-	—	
24	कैलाश प्रसाद		-॥-	—	
25	महादेव प्रसाद		-॥-	—	महादेव भैयालाल
26	भैयालाल		-॥-	—	देवनाथ प्रसाद
27	देवनाथ प्रसाद	ढकवाँ	-॥-	—	बाबूलाल
28	बाबूलाल	॥	-॥-	—	
29	जया कुमारी	-॥-	-॥-	8953219199	जया कुमारी
30	प्रियंका	-॥-	-॥-	8896605546	Priyanka
31	पूजा निषाद	-॥-	-॥-	-॥-	POOJA
32	शकुन्तला देवी	-॥-	-॥-	9628178227	शकुन्तला
33	नीतू निषाद	-॥-	-॥-	8960841846	नीतू
34	रामचन्द्र	-॥	-॥-	8638394620	रामचन्द्र
35	गोविन्द कुमार	-॥-	-॥-	915629383	Gobind Kumar

फोटो गैलरी

BIODIVERSITY AND GANGA
CONSERVATION

BIODIVERSITY AND GANGA
CONSERVATION

NMCG

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani
Dehradun - 248001 Uttarakhand,
India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

www.wii.gov.in/national_mission f